कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / पेंशन–अ / विविध / 2023 दिनांक :– 12.09.2023

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,(समस्त) मण्डल परिक्षेत्र ।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (समस्त) मुख्यालय–माध्यमिक ।

विषय : IFMS 3.0 के अन्तर्गत अधिवार्षिकी (Superannuation) आयु प्राप्त कर सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के सम्बन्ध में ।

संदर्भ : निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.5(328)निपेवि / नियम / ई–मॉड्यूल / 2023 / 3254–H दि. 06.09.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयाध्यक्षों को संदर्भित पत्र में वर्णित निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करवाये जाने हेतु पाबंद करें ।

संलग्न :– संदर्भित पत्र की प्रति ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department

सत्यमेव जयते

क्रमांक : शिविरा / माध्य / पेंशन–अ / विविध / 2023 दिनांक :– 12.09.2023

प्रतिलिपी : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक, कार्मिक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
3. उप निदेशक प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय हाजा ।
4. उप निदेशक, समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर / अजमेर ।
6. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
8. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

PS/mun/453/23
08.9.23

अति आवश्यक

FA
08/09/23

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005

ई–मेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष – 0141.2740538, 2740678
वेबसाईट – rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक :– प.5 (328) निपेप /निपक /ई-गाइपुस्त /2023 दिनांक :–
3254-H
06-09-2023

113/10
AO (P&F)

निदेशक,
माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर, राज.।
संस्कृत शिक्षा विभाग/कृषि विभाग/पशु पालन विभाग/
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
आयुर्वेद विभाग, अजमेर।

विषय :– Integrated Financial Management System (IFMS 3.0) के अन्तर्गत जून, 2023 से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को रिटायरमेन्ट के दिवस को ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति उपलब्ध करवाने बाबत्।

सदर्भ :– वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5 (थ–75) डीटीए /IFMS 3.0/1112-1311 दिनांक 01.06.2023।

Rajasthan Education Department

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कर्मचारी से संबंधित समस्त डाटा सेवा पुस्तिका के आधार पर सिस्टम पर अद्यतन कर दिया गया है। इस क्रम में सभी विभागाध्यक्षों से निम्नांनुसार कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कार्यालयाध्यक्ष सिस्टम पर ई–पेंशन सेट से संबंधित समस्त सूचनाओं की पूर्ति कर ई–पेंशन सेट कार्मिक की सेवानिवृत्ति माह की 15 तारीख तक पेंशन विभाग को अग्रेषित करेंगे। अतः उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले कार्यालयाध्यक्ष को चिन्हित कर यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में उनके द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं की जावें तथा सेवानिवृत्ति माह की 15 तारीख तक ई–पेंशन सेट पेंशन विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
2. संदर्भित परिपत्र के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथा समय सिस्टम पर पेंशन सेट से संबंधित सूचना अद्यतन नहीं की जाती है तो डीम्ड अप्रूवल मानते हुए ई–पेंशन सेट ऑटो प्रोसेस द्वारा पेंशन विभाग को पेंशन और ग्रेच्युटी (जहां लागू हो) के लिए अग्रेषित होगा। ऐसे प्रकरणों में अधिक/गलत भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष की होगी। अतः अधिक/गलत भुगतान के प्रकरणों हेतु उत्तरदायी

कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में पुनरावृत्ति न हो।

3. IFMS 3.0 पर ऐसे पेंशन प्रकरण जो कि Auto Process के माध्यम से निस्तारित किये जा चुके है, में अब कम्यूटेशन Process की सुविधा विकसित की जा रही है तथा संबंधित कर्मचारी द्वारा कम्यूटेंशन प्रोसेस किया जाना है। अतः आपके विभाग से Auto Process से निस्तारित हुये प्रकरणों में यदि विभागीय जांच (DE)/ न्यायिक कार्यवाही लम्बित हो तो IFMS 3.0 सिस्टम पर DE/NO DE/न्यायिक कार्यवाही अविलम्ब मार्क हेतु संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित करेंगे। DE मार्क करने का Flow Chart निम्नानुसार है :-

SSO से login करके IFMS 3.0 में जाकर Access workspace ⟶ Click on "HO" ⟶ Pension Management ⟶ Click on "Mark Employee DE"

उपरोक्त बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही की सूचना दिनांक 15.09.2023 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को ई-मेल dir-pen-rj@nic.in पर प्रेषित करावें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

भवदीय

06/09/23

(डॉ देवराज)

निदेशक